

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिव्हरसिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कमांक:संविक / 2025 / 318

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

दिनांक 07 FEB 2025

प्रति,

विभागाध्यक्ष / निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएं, दे.अ.वि.वि.,
तक्षशिला परिसर, खण्डवा रोड, इन्दौर


विषय:- विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित करने बावत्।
संदर्भ:- कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक
-227 / 2563097 / 2025 / 38-2 भोपाल दिनांक 04.02.2025।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 को 'स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन' लान्च किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी विभागों में मिशन के संबंध में संकायवार एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षावार एक ब्रीफिंग सत्र छात्रों एवं शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाए। जिसमें विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन के संबंध में जारी पी.पी.टी./वीडियो का प्रदर्शन (संलग्न परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2) छात्रों एवं शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न पत्रानुसार अवलोकन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रपत्र भरकर जानकारी शासन को प्रेषित की जाय।

विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को इस अभियान से जोड़ते हुए गतिविधियों का सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर, कार्यक्रम को सफल बनायें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।


कुलसचिव

पृष्ठा. कमांक:संविक / 2024 / 318
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 07 FEB 2025

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल म.प्र.।
- 02 अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग मोती तबेला इन्दौर।
- 03 कुलगुरुजी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
- 04 विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय-462004

क्रमांक: 227 / 2563097 / 2025/38-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/02/2025

1. कुलसचिव,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. सचिव,
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल.
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।



विषय- विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित करने बावत्।
संदर्भ-सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार से प्राप्त नोट-शीट
D.No.06/SECY/TE,SD&E Dated 13.01.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत होना चाहे कि स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ-साथ वर्टिकल और सब-वर्टिकल के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाना है।

इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में मिशन के संबंध में संकायवार एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षावार एक ब्रीफिंग सत्र छात्रों एवं शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाए। जिसमें विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन के संबंध में जारी पी.पी.टी./वीडियो का प्रदर्शन छात्रों एवं शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तुतिकरण की सूचना पटल पर चस्पा, कक्षावार छात्रों एवं शिक्षकों को अवगत कराया जाए, वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित की जाए। जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक लाभान्वित हो सकें।

विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन पी.पी.टी./वीडियो प्रदर्शन का प्रथम चरण की समय-सारणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन पी.पी.टी./वीडियो का प्रदर्शन से संबंधित जानकारी का विवरण परिशिष्ट -2 पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।


निरन्तर.....2,

//2//

कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन के संबंध में की गई कार्यवाही की एकजाई जानकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रतिमाह अकादमिक-शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in पर तथा समस्त प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय क्षेत्राधिकार के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्यवाही की संमेलित जानकारी एकत्र कर संधारित करेंगे एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा को एकजाई जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-2 के साथ छायाचित्र, समाचार पत्रों की कटिंग आदि अकादमिक-शाखा के ई-मेल academy-he@mp.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न-(1) पी.पी.टी./वीडियो

(2) परिशिष्ट-1 एवं 2,


(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: २२४ / 2563097/2025|38-2

भोपाल, दिनांक ०५ / 02 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. निज सहायक, कुलगुरु, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन
पी.पी.टी./वीडियो का प्रदर्शन

प्रथम चरण

दिनांक 06 फरवरी, 2025 से 13 फरवरी, 2025

क्र.	दिनांक	सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के संकाय/ पाठ्यक्रम		रिमार्क
		स्नातक	स्नातकोत्तर	
1.	06 फरवरी, 2025	कला संकाय	—	
2.	07 फरवरी, 2025	विज्ञान संकाय	—	
3.	08 फरवरी, 2025	वाणिज्य एवं अन्य संकाय	—	
4.	10 फरवरी, 2025	—	कला संकाय के विषय	
5.	11 फरवरी, 2025	—	विज्ञान संकाय के विषय	
6.	13 फरवरी, 2025	—	वाणिज्य संकाय एवं अन्य विषय, तथा डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम के विद्यार्थी	

नोट :- स्थानाभाव की स्थिति में कक्षावार प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया जा सकता है।



स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन (Yuva Shakti Mission)

टीम मध्य प्रदेश

समन्वयक : तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

सह समन्वयक: उच्च शिक्षा विभाग



प्रस्तावना

- माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य -ज्ञान पर ध्यान- अंतर्गत (GYAN-Gareeb, Yuva, Annadata, Nari Shakti)*
- भारत एक युवा राष्ट्र -15 से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या कुल आबादी के 27.3 प्रतिशत है।*
- युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए, "युवा शक्ति मिशन" का प्रस्ताव है।
- विकास और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण

* PIB द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
** मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी युव पालिसी 2023 चैप्टर 1 बिंदु क्र 5.

मिशन का उद्देश्य

- आत्मविश्वास एवं उद्यमिता - चुनौतियों का सामना
- युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रदान करना एवं रोजगार हेतु तैयार करना (Employability)
- मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से युवा कल्याण को बढ़ावा देना।
- अर्थव्यवस्था में सभी को सम्मानजनक स्थान
- युवाओं की समाज में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी
- खेल, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना- संवहनीय समाज (Sustainable Society)

लक्ष्य समूह (Target Group)


- 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा।
- विशेषतः
 - महिलाएँ
 - दिव्यांग युवा
 - किसान
 - आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग।

* मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी यूथ पालिसी 2023 चैप्टर 1 बिंदु क्र 5.

लक्ष्य

निम्नानुसार प्रस्तावित है:-


1. प्रत्येक व्यक्ति की आय का स्तर कम से कम कुशल न्यूनतम दर के बराबर होना : 70 % (वर्ष 2030 तक)
2. प्रत्येक युवा कक्षा 12वीं के स्तर तक शिक्षा पूरी कर रहा हो : 100 % (वर्ष 2030 तक) एवं मध्यवर्ती 10वीं 100%(वर्ष 2028 तक)
3. प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना: 70 % (वर्ष 2030 तक)



मिशन वाक्य

संवाद - सामर्थ्य - समृद्धि


(आत्म दीपो भवः)



- युवाओं से संवाद स्थापित करना
- युवाओं में आत्मविश्वास
- सामाजिक योगदान हेतु संकल्प
- विकास यात्रा में युवाओं का नेतृत्व
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- क्षमता संवर्धन
- आजीवन शिक्षा एवं कौशल विकास
- सामर्थ्य में समृद्धि लाने का संकल्प
- विकसित एवं समृद्ध मध्यप्रदेश
- सतत संवहनीय विकास


मिशन के स्तम्भ (Verticals)

- **संवाद-** युवा संवाद (जनसंपर्क/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण/महिला एवं बाल विकास/तकनीकी शिक्षा)
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** (स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण/महिला एवं बाल विकास/तकनीकी शिक्षा)
- **सामर्थ्य** (क्षमता संवर्धन)- (कौशल विकास एवं उद्यमिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास)
- **उद्यमिता/रोजगार** (DIIP/MSME/तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास)
- **सामाजिक पहल** (खेल और युवा कल्याण/सामाजिक न्याय/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/गृह विभाग)
- **अनुश्रवण** (खेल और युवा कल्याण/तकनीकी शिक्षा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी)



स्तम्भ 1 - संवाद

- युवाओं के साथ संवाद- युवा संवाद
- युवाओं के लिए शासन द्वारा की गई विभिन्न पहल और कार्यों पर चर्चा
- सक्रिय कैरियर परामर्श- कर्म का महत्व
- युवाओं के मध्य शिक्षा/कौशल विकास में QUEST (गुणवत्ता, उपयोगिता, दक्षता, स्थिरता और समयबद्धता) के विचार को बढ़ावा
- युवाओं में नेतृत्व को बढ़ावा
- सामाजिक योगदान हेतु संकल्प



स्तम्भ 2 - शिक्षा

- शिक्षा की गुणवत्ता (QUEST) में सुधार
- एकलव्य एवं कन्या मॉडल स्कूल- समावेशी
- पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
- सी.एम. राईज स्कूल
- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा (MPCOST/AIGGPA/GSP द्वारा)
- तकनीक का अधिकाधिक उपयोग (VIDYUT, Digital University)
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों के अनुसार क्षमता का विकास
- उद्योगों और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
- प्रत्येक संभागीय मुख्यालय में कौशल विश्वविद्यालय (Skill University) की स्थापना

स्तम्भ 3 - क्षमता संवर्धन

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों के अनुसार क्षमता का विकास
- उद्योग संयोजन/रोजगार के लिए आकांक्षाओं की पहचान एवं पूर्ति
- मध्यप्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का आय, मानक कुशल न्यूनतम दर के समान करना (पांच वर्षों में 70%)
- कौशल विकास का विविधीकरण, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण
- पर्यटन और hospitality क्षेत्र के लिए कौशल विकास
- निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सुगम बनाना
- वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय बुद्धिमत्ता (Financial Intelligence)
- उद्यमिता और करियर चयन सेवाओं पर विशेष ध्यान
- युवा कौशल आकलन की सुविधा: युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर सही करियर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए सुविधा विकसित करना।
- उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं का आकलन कर उसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

स्तम्भ 4 - उद्यमिता एवं रोज़गार (1/2)

- उद्योगों की सुविधा के लिए प्रणाली/प्रक्रिया पुनर्गठन (EODB)
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और मान्यता- (SRUTI)
- MSMEs को प्रक्रिया/सब्सिडी की सुविधा/भूमि आवंटन- समस्त प्रक्रियाएँ ऑनलाईन (EODB)
- प्रत्येक जिले में **MSME औद्योगिक पार्क** का विकास- मार्ग सुविधा/ ऊर्जा/ जल व्यवस्था/संचार
- उद्योग की आवश्यकतानुसार मानव संसाधन का विकास - Alignment
- स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर प्रदान करना जिससे युवाओं को दूर जाने की आवश्यकता न पड़े

स्तम्भ 4 - उद्यमिता एवं रोजगार (2/2)

- HARSH: कौशल विकास, कृषि-संबद्ध क्षेत्र विस्तार और उद्यमिता विकास के संबंध में व्यक्तिगत स्तर कार्य योजना - प्रत्येक व्यक्ति का आय मानक कुशल न्यूनतम दर।
- HUNAR: महिलाओं के लिए एक विशेष पहल
- DAKSH: ज्ञान और कौशल का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाजार से जोड़ना

स्तम्भ 5 - सामाजिक पहल

- स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना
- मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार
- नशे से युवाओं को दूर रखना
- सामाजिक बुराइयों (जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि) के खिलाफ युवाओं को शिक्षित करना
- राष्ट्र और राज्य के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से युवाओं को जोड़ना (भारतीय ज्ञान परंपरा)
- NCC, NSS, NYK में युवाओं का जुड़ाव
- पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जागृति
- BHAVANI : युवाओं के माध्यम से सही पोषण के लिए बच्चों का मार्गदर्शन
- पर्यावरण संरक्षण (वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे सामाजिक प्रयास को बढ़ावा देना)
- पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए विश्लेषण करना
- CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फण्ड का कौशल विकास के लिए उपयोग करना
- खेलों के माध्यम से नेतृत्व, टीमवर्क और अनुशासन को प्रोत्साहित करना।

स्तम्भ 6 - अनुश्रवण

- निरंतर पर्यवेक्षण के लिए पोर्टल
- प्रत्येक स्तम्भ के लिए गतिविधियां
- प्रत्येक गतिविधियों के लिए KPI (Key Performance Indicator)
- प्रत्येक KPI डैशबोर्ड पर
- MPSEDC द्वारा युवा पोर्टल के माध्यम से API आधारित समन्वय



संस्थागत व्यवस्था

- म.प्र. राज्य कौशल विकास और रोजगार जनरेशन बोर्ड (MPSSDEGB) - युवा बोर्ड
- युवा बोर्ड के उद्देश्यों में समुचित परिवर्तन
- युवा बोर्ड की अध्यक्षता- माननीय मुख्यमंत्री जी
- साधिकार समिति की अध्यक्षता- मुख्य सचिव
- कार्यकारी समिति की अध्यक्षता- भारसाधक मंत्री
- समन्वय के लिए उपयुक्त अधिकारीगण, विशेष कर्तव्य अधिकारी
- प्रभावी समन्वय और निगरानी के लिए युवा बोर्ड में PMU का गठन